मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10/07/2017

क्रमांक एफ-1/57/2012/20-1:: अध्यापक संवर्ग के अंतर्निकाय संविलियन की प्रक्रिया संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुये महिला, नि:शक्त, परस्पर आधारित एवं पुरूष अध्यापक के अंतर्निकाय संविलियन की नीति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1/ **अंतर्निकाय संविलियन की शर्तें-**

(1.1) ग्रामीण निकाय से ग्रामीण निकाय में, नगरीय निकाय से ग्रामीण निकाय में तथा नगरीय निकाय से नगरीय निकाय में संविलियन की अनुमति होगी, किन्तु ग्रामीण निकाय से नगरीय निकाय में संविलियन की अनुमति नही होगी।

(1.2) अंतर्निकाय संविलियन के लिये आवेदन करने हेतु केवल ऐसे पुरूष अध्यापक ही पात्र होगे जिनकी सेवाऐं 05 वर्ष या उससे अधिक की हो चुकी हैं । परन्तु सामान्य क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में संविलियन चाहने पर 03 वर्ष का सेवाकाल मान्य होगा ।

(1.3) महिलाओं, नि:शक्तजनों, परस्पर आधारित एवं गंभीर बीमारी के प्रकरणों में कंडिका (1.2) में उल्लेखित शर्त लागू नही होगी।

(1.4) कोई भी अध्यापक ऐसी स्थिति में ही अन्य शाला में उपलब्ध रिक्त पद पर संविलियन हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा जब प्राथमिक शाला में न्यूनतम 03 शिक्षक, एवं माध्यमिक शाला में न्यूनतम 04 शिक्षक कार्यरत हो, अर्थात आवेदक अध्यापक के अन्य निकाय में संविलियन होने की स्थिति में प्राथमिक शाला में कम से कम 02 एवं माध्यमिक शाला कम से कम 03 शिक्षक कार्यरत बने रहेंगें ।

(1.5) आवेदक धारित पद अनुसार समान विषय के पदों के लिए ही आवेदन कर सकेगा एवं अधिकतम 20 शैक्षणिक संस्थाओं में रिक्त पदों पर ही ऑनलाईन विकल्प दे सकेगा ।

(1.6) स्वयं की गंभीर बीमारी के कारण संविलियन के लिए आवेदन देने पर आवेदक को इस आशय का चिकित्सक का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा कि वह अध्यापन का कार्य कर सकने में सक्षम है।

(1.7) आवेदक स्वयं के अथवा परिवार की बीमारी बाबत उल्लेख दर्शाते हुए आवेदन कर सकता है। परिवार से आशय पति, पत्नि एवं आश्रित बच्चों से है।

(1.8) अंतर्निकाय पारस्परिक संविलियन में समान पद समान विषय होना अनिवार्य है। पारस्परिक संविलियन नगरीय एवं ग्रामीण दोनों निकायों में मान्य होगा ।

(1.9) जिला/विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक रिक्त पदों की पूर्ति ऑनलाइन अंतर्निकाय संविलियन नीति से नही होगी। इन स्कूलों के रिक्त शैक्षणिक पदों की पूर्ति पूर्व से निर्धारित जिला समिति द्वारा स्थानीय स्तर से की जायेगी।

(1.10) स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित शालाओं तथा इन विभागों के अन्दर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अध्यापकों के द्वारा अन्तर्निकाय संविलियन चाहे जाने पर ऑनलाईन आवेदन अपनी मूल संस्था से कर सकेगें और अंतर्निकाय संविलियन होने पर प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(1.11) अंतर्निकाय संविलियन होने पर नवीन निकाय में उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता मान्य होगी अर्थात उनकी पूर्व वरिष्ठता समाप्त हो जावेगी। नवीन निकाय में उसके धारित पद वाली वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता सबसे नीचे रहेगी।

2. **अध्यापक संवर्ग की संविलियन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-**

(2.1) संविदा शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध अंतर्निकाय ऑनलाईन संविलियन किया जा सकेगा। संविदा शाला शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विकासखंड, निकायवार,

विषयवार, संस्थावार डाईज कोड एवं जिला सहित एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाईन प्रदर्शित किया जायेगा।

(2.2) अध्यापक संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाय में पदोन्नति रोस्टर के अनुसार अध्यापक/शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को संविलियन प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा और इन रिक्त पदों को ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(2.3) संविलियन के लिये इच्छुक आवेदक एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करेगा एवं कार्यरत निकाय के नियुक्ति कर्ता अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के अन्दर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में कंडिका-1 में उल्लेखित शर्तो के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। उक्त अवधि में अनापित्त प्रमाणपत्र जारी न किये जाने की स्थिति में निकाय की अनापित्त मानते हुये संविलियन की कार्यवाही की जावेगी। निर्धारित समयावधि में अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर निर्णय न लिये जाने के लिए निकाय के संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अलग से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

(2.4) ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन करने की सुविधा निर्धारित की गई समयावधि के लिए ही उपलब्ध होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात गम्भीर बीमारी के प्रकरण एवं अपरिहार्य कारणों से संविलियन किया जाना आवश्यक होने की स्थिति में ऑफलाईन संविलियन किया जा सकेगा। गम्भीर बीमारी के अंतर्गत स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन टयूमर, गुर्दाप्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी अथवा लकवा ग्रसित तथा अपरिहार्य कारणों के अंतर्गत आवेदक के पति/पत्नी/संतान की मृत्यु के कारण परिवार मे कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होने कारण, भारतीय सेना में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी जो अध्यापक संवर्ग में पदस्थ हो एवं महिला/ पुरूष अध्यापकों को कार्य निष्पादन में व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर निर्मित स्थिति वाले प्रकरण आयेगें। आवेदक के बीमारी से संबंधित चिकित्सीय पर्चे एवं

चिकित्सक द्वारा कार्य/अध्यापन करने के लिए सक्षम होने का प्रमाण-पत्र के साथ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगें। प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ आयुक्त, लोक शिक्षण को प्रेषित करेगें। इस प्रकार के आवेदन पर संविलियन की अनुमति दिये जाने की कार्रवाई प्रशासकीय अनुमोदन से की जा सकेगी। इस प्रकार के संविलियन की अनुमति के आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से ही जारी किये जा सकेगें।

(2.5) उ.मा.वि./हाईस्कूल/मा.वि./प्रा.वि. में कार्यरत वरिष्ठअध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के द्वारा अंतर्निकाय संविलियन चाहे जाने पर विद्यालय में उनके परीक्षा परिणाम/ बच्चों में पढ़ाई के स्तर, को ऑनलाईन अंतर्निकाय संविलियन हेतु वरीयता दी जायेगी। गम्भीर बीमारी, नि:शक्त कोटे से नियुक्ति, महिला वर्ग में विवाह के कारण पति के निवास अथवा कार्य क्षेत्र (पदस्थापना स्थल) से अन्यत्र पदस्थ, विधवा अथवा परित्यक्ता को भी वरीयता में प्राथमिकता दी जायेगी।

(2.6) अध्यापक/सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं सहायक अध्यापक (प्रयोग शाला/गायन वादन) के पद उ.मा.वि.एवं हाईस्कूल स्तरीय है। इन पदों पर कार्यरत सेवकों द्वारा संविलियन चाहे जाने पर उ.मा.वि./हाईस्कूल स्तर की शाला में ऑनलाईन समान रिक्त पद के लिए क्रमानुसार निर्धारित विकल्प चुनकर अंतर्निकाय संविलियन हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकेगें।

(2.7) सहायक अध्यापक (प्रयोग शाला/व्यायाम शिक्षक/ गायन वादन) का पद उ.मा.वि./हाईस्कूल स्तर का है। इनके द्वारा सहायक अध्यापक प्रा.वि./मा.वि. के रिक्त पदों पर ऑनलाईन आवेदन करने की पात्रता नही होगी ।

3. एक शैक्षणिक संस्था में एक से अधिक आवेदक द्वारा अंतर्निकाय संविलियन चाहे जाने पर प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग के महिला/पुरूष	अंतर्निकाय संविलियन के प्राथमिकता क्रम का क्रमानुसार विवरण
1	महिला वर्ग	1. स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन टयूमर, गुर्दाप्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी अथवा लकवा ग्रसित।
		2.विवाह के कारण पति के निवास अथवा कार्यस्थान पर संविलियन
2	पुरूष वर्ग	स्वयं अथवा परिवार के सदस्य कैंसर, ब्रेन टयूमर, गुर्दाप्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी अथवा लकवा ग्रसित।
3	महिला वर्ग	नि:शक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्ति।
4	पुरूष वर्ग	नि:शक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्ति।
5	महिला वर्ग	विधवा अथवा परित्यक्ता।
6	महिला वर्ग	1. गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र। 2. नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र।
7	पुरूष वर्ग	1. गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र। 2. नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र।
8	महिला वर्ग	एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता एवं कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का 50 -50 प्रतिशत वेटेज मान्य होगी।
9	पुरूष वर्ग	एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता एवं कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का 50 -50 प्रतिशत वेटेज मान्य होगी।

स्पष्टीकरण:-

नियुक्ति एवं वरिष्ठता तिथि दोनों समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को प्राथमिकता रहेगी। शिक्षकों के कार्य निष्पादन पर आधारित अधिभार की गणना का आधार निम्नानुसार होगा :-

(अ) प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के विगत 3 वर्ष के प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन के विषयवार परीक्षा परिणाम के औसत को आधार बनाया जावेगा।

(ब) हाई/ हायर सेकेण्डरी शालाओं के शिक्षकों के विगत 3 वर्ष के माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा एवं कक्षा 9 एवं 11 के विगत 3 वर्ष के विषयवार वार्षिक परीक्षा परिणाम के औसत को आधार बनाया जायेगा।

4. ऑनलाईन संविलियन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद अध्यापक संवर्ग को एक निकाय से दूसरे निकाय में अंतर्निकाय संविलियन की अनुमति आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा जारी की जायेगी ।

5. **ऑनलाईन संविलियन की समय सारिणी :-**

संविलियन हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रजनी सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा. क्र0/ एफ-1/57/2012/20-1:: भोपाल, दिनॉक 10/07/2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।

2. निज सचिव/मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. आयुक्त,लोकशिक्षण/राज्यशिक्षाकेन्द्र/आदिवासीविकास विभाग/नगरीय प्रशासन विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल ।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश ।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश ।
11. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
12. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद मध्यप्रदेश ।

उप सचिव
म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग